G — स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं विधिक सहायता

महिला छात्रावास / विद्यार्थी छात्रावास (सखी निवास)

यह संस्थान क्या है

सखी निवास योजना के अंतर्गत एक महिला छात्रावास (पहले "कामकाजी महिला छात्रावास") कामकाजी महिलाओं, नौकरी-संबंधी प्रशिक्षण ले रही महिलाओं, और उन महिलाओं के लिए सुरक्षित, किफायती आवासीय सुविधा प्रदान करता है जो अकेली, विधवा, अलग रह रही हैं, या जिनका परिवार उसी शहर में नहीं है। मिशन शक्ति के एक भाग के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित, ये छात्रावास अनुमोदित कार्यान्वयन एजेंसियों — NGOs, महिला सहकारी समितियाँ, शहरी स्थानीय निकाय, अथवा राज्य महिला निगम — द्वारा गैर-लाभकारी आधार पर चलाए जाते हैं। काम या प्रशिक्षण के लिए किसी नगर में आ रही युवा महिलाओं के लिए, सखी निवास ही केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों द्वारा समर्थित एकमात्र समर्पित सुरक्षित-आवास अवसंरचना है। आय पात्रता मेट्रो शहरों में अधिकतम Rs 50,000/माह और अन्य स्थानों पर Rs 35,000/माह तक है।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप एक युवा महिला हैं जो काम या प्रशिक्षण के लिए किसी नगर में आई हैं और सुरक्षित, किफायती आवास की आवश्यकता है, अथवा यदि आप उस स्थिति में मौजूद महिलाओं को जानती हैं, तो सखी निवास छात्रावास ठीक यही प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं — कमरे, भोजन, सुरक्षा, और यहाँ तक कि निवासियों के बच्चों के लिए डे-केयर भी।

शासन

कानून / नीति	दायरा
मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास दिशा-निर्देश (MWCD — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2022-23 में संशोधित)	महिला छात्रावासों के लिए संचालन ढाँचा — पात्रता, सुविधाएँ, वित्तपोषण
मिशन शक्ति अंब्रेला योजना दिशा-निर्देश	समग्र महिला सशक्तिकरण ढाँचा
SASCI पूँजी अनुदान (वित्त मंत्रालय)	राष्ट्रीय स्तर पर 254 नए छात्रावासों (52,991 बिस्तर) हेतु एकमुश्त निर्माण कोष
राज्य WCD (महिला एवं बाल विकास) विभाग के नियम	राज्य-विशेष कार्यान्वयन मानक

- **केंद्र:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) → मिशन शक्ति वित्तपोषण
- **राज्य:** राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग
- **जिला:** जिला WCD / समाज कल्याण अधिकारी छात्रावास की निगरानी करते हैं
- **संस्थान:** कार्यान्वयन एजेंसी (NGO / सहकारी समिति / ULB — शहरी स्थानीय निकाय / राज्य निगम) गैर-लाभकारी आधार पर संचालन करती है
- **देखरेख:** छात्रावास प्रबंधन समिति (HMC — Hostel Management Committee) — जिसकी अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी (WCD) अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) करते हैं; सदस्यों में रेज़िडेंट सुपरिंटेंडेंट, दो प्रतिनिधि (अधिमानतः वरिष्ठ निवासी), एक प्रमुख महिला सामाजिक कार्यकर्ता या किसी प्रमुख स्थानीय संगठन का प्रतिनिधि, और अध्यक्ष द्वारा सह-निर्वाचित कोई अन्य सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति शामिल होते हैं। HMC सामान्यतः पखवाड़े में एक बार बैठक करती है, त्रैमासिक रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजती है, तथा प्रवेश, शुल्क, सुरक्षा शिकायतें और सुविधा रखरखाव की समीक्षा करती है।
- **किराया सीमा (सखी निवास दिशा-निर्देशों के अनुसार):** एकल-कक्ष के लिए उपयोगकर्ता शुल्क सकल वेतन के 15% से अधिक नहीं हो सकता, डबल कक्ष के लिए 10%, और डॉर्मिटरी आवास के लिए 7.5%
- **वित्तपोषण:** केंद्र-प्रायोजित, माँग-आधारित; केंद्र और राज्य लागत साझा करते हैं (सामान्यतः 60:40; पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्यों के लिए केंद्रीय हिस्सा अधिक); निवासी आय के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क देते हैं, ऊपर बताई सीमाओं के अनुसार

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
प्रबंधक (Manager)	समग्र प्रशासन; सखी निवास स्टाफिंग मानकों के अनुसार छात्रावास में निवास करना अनिवार्य
वार्डन	दिन-प्रतिदिन की निगरानी, अनुशासन, निवासियों का कल्याण
केयरटेकर (3)	दैनिक संचालन, स्वच्छता, निवासियों की सहायता
सुरक्षा / रात्रि गार्ड (3)	चौबीसों घंटे परिधि सुरक्षा, आगंतुक जाँच
कार्यान्वयन एजेंसी प्रतिनिधि	NGO / एजेंसी प्रमुख जिनकी संचालन ज़िम्मेदारी है
छात्रावास प्रबंधन समिति (HMC)	शिकायतों की समीक्षा करती है, सुविधाओं की जाँच करती है, प्रवेश पर परामर्श देती है; जिला कार्यक्रम अधिकारी (WCD) / DSWO अध्यक्षता करते हैं; पखवाड़े में बैठक; जिला प्रशासन को त्रैमासिक रिपोर्टिंग
जिला WCD / समाज कल्याण अधिकारी	छात्रावास की निगरानी करते हैं, विस्तार स्वीकृत करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि भवन का उद्देश्य के अनुसार उपयोग हो रहा है
सहायक स्टाफ	रसोइया, सहायक, हाउसकीपिंग

अनिवार्य सेवाएँ

- 50-100 महिलाओं के लिए कमरे (एकल, डबल, अथवा छोटी डॉर्मिटरी) उपलब्ध कराना — प्रत्येक निवासी के लिए बिस्तर, मेज़, कुर्सी और अलमारी सहित
- वेतन स्तर के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क के साथ मेस और साझा रसोई का संचालन
- सुरक्षा बनाए रखना: चारदीवारी अथवा सुरक्षित भवन, प्रवेश एवं प्रमुख बिंदुओं पर CCTV, सुरक्षा गार्ड
- साझा कक्ष, भोजन कक्ष, रसोई, भंडार, और सिक रूम (बीमार-कक्ष) उपलब्ध कराना
- निवासियों के समूह के अनुसार न्यूनतम फ़िक्स्चर के साथ अलग स्नानघर एवं शौचालय सुनिश्चित करना
- बुनियादी दिव्यांग-अनुकूल पहुँच (व्हीलचेयर रैंप) तथा नियमित पानी एवं बिजली प्रदान करना
- जहाँ अनुमोदित हो, निवासियों के बच्चों के लिए डे-केयर कक्ष और प्ले एरिया का संचालन
- नौकरीपेशा महिलाओं के अतिरिक्त नौकरी-संबंधी प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को प्रवेश देना, बशर्ते कुल प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष से अधिक न हो और प्रशिक्षु छात्रावास क्षमता के 30% से अधिक न हों
- 18 वर्ष तक की लड़कियाँ और 12 वर्ष तक के लड़के अपनी माताओं के साथ रह सकते हैं, अधिमानतः डॉर्मिटरी के बजाय एकल अथवा डबल कमरों में
- अधिकतम ठहराव सामान्यतः 3 वर्ष तक; आय पात्रता Rs 50,000/माह (मेट्रो) अथवा Rs 35,000/माह (अन्य स्थानों पर) तक

संबद्ध योजनाएँ

- **सखी निवास (मिशन शक्ति)** — किराया, स्टाफ, परिचालन व्यय, मरम्मत और फ़र्नीचर के लिए आवर्ती परिचालन वित्तपोषण
- **SASCI पूँजी अनुदान** — नए छात्रावासों के लिए एकमुश्त निर्माण कोष (राष्ट्रीय स्तर पर Rs 5,000 करोड़)
- **वन स्टॉप सेंटर (सखी सेंटर)** — हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के लिए संकट सहायता, विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता; आवास की आवश्यकता वाली महिलाओं को रेफर कर सकता है
- **महिला हेल्पलाइन (181)** — आपातकालीन सहायता और छात्रावास तक रेफरल मार्ग
- **राज्य छात्रावास योजनाएँ** — अतिरिक्त आवास जो सखी निवास का पूरक हो सकता है

कैसे ढूँढें

पोर्टल: spniwcd.wcd.gov.in/sakhi-niwas-working-women-hostel/brief — राष्ट्रीय योजना का विवरण और संपर्क बिंदु

इसके अतिरिक्त: जिला WCD अथवा समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें; UP के लिए mahilakalyan.up.nic.in देखें; MP के लिए mpwcdmis.gov.in देखें

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील सखी निवास में होना चाहिए: 50-100 महिलाओं के लिए बुनियादी फ़र्नीचर सहित कमरे, एक मेस और रसोई, गेट पर CCTV और सुरक्षा, अलग स्नानघर एवं शौचालय, एक साझा कक्ष और सिक रूम, नियमित पानी एवं बिजली, और — जहाँ अनुमोदित हो — निवासियों के बच्चों के लिए डे-केयर सुविधा।

एक क्रियाशील सखी निवास कैसा दिखता है

- छात्रावास प्रलेखित अधिभोग (occupancy) और अनुरक्षित सुविधाओं के साथ संचालन में है
- कार्यान्वयन एजेंसी सक्रिय है और छात्रावास प्रबंधन समिति नियमित रूप से बैठक करती है
- अनिवार्य सुविधाएँ — CCTV, सुरक्षा, रसोई, सिक रूम — मौजूद और क्रियाशील हैं
- नौकरी-संबंधी प्रशिक्षण ले रही महिलाओं (न केवल नौकरीपेशा महिलाओं) को प्रवेश दिया जा रहा है
- शुल्क संरचना दिशा-निर्देशों में दिए गए वेतन-प्रतिशत मॉडल का पालन करती है
- छात्रावास जिले की महिलाओं को ज्ञात है — जागरूकता स्वयं पहुँच में बाधा नहीं है

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु वार्डन है, उसके बाद प्रबंधक (जिनका छात्रावास में निवास अनिवार्य है)। छात्रावास प्रबंधन समिति (HMC), जिसकी अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) / DSWO करते हैं, औपचारिक समीक्षा मंच है। किराया-सीमा उल्लंघन, सुरक्षा कमियों, अथवा सुविधा संबंधी मुद्दों की शिकायतें यहीं पहले उठाई जाती हैं।

सेवा के बाद। आगे बढ़ाने की कार्रवाई सीधे जिला कार्यक्रम अधिकारी / DSWO तक और फिर राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग तक होती है। सखी निवास से जुड़े मुद्दों के लिए, मिशन शक्ति जिला नोडल अधिकारी के पास क्षेत्राधिकार है।

बाह्य। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली) (pgportal.gov.in) चलाता है तथा missionshakti.wcd.gov.in पर एक समर्पित मिशन शक्ति शिकायत मार्ग रखता है। NCW (राष्ट्रीय महिला आयोग) (ncw.nic.in, हेल्पलाइन 7827170170) लिंग-आधारित सेवा-निषेध और सुरक्षा शिकायतों को संभालता है। ≥10 कर्मचारियों वाले छात्रावासों पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (पॉश), 2013 के उल्लंघन के लिए जिला स्तर पर LCC (स्थानीय शिकायत समिति) के पास क्षेत्राधिकार है। महिला हेल्पलाइन 181 सुरक्षा-संबंधी कॉलों को रूट करती है।